(83)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

R 4335 8 2016

/निगरानी/2015–16
प्रस्तुति दिनांक 13/12/2016

भगवान पिता हिरालाल
निवासी–ग्राम अर्जुन बड़ोदा, टप्पा शिप्रा,
तहसील–सांवेर, जिला–इन्दौर — निगरानीकर्त्ता

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13-12-2016
को प्रस्तुत।
856
13-12-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. मेहरबान पिता नाथूलाल
~~निवासी– बिसाखेड़ी अजनोद,~~
~~तहसील– सांवेर, जिला– इन्दौर~~
2. मोतीराम पिता काशीराम
3. जगदीश पिता उमराव
4. राधेश्याम पिता पन्नालाल
5. हुक्म पिता नाथूलाल
6. बद्रीलाल पिता हीरालाल – सदर निवासी 1 लगायत 5 ग्राम अर्जुन बडोदा सांवेर जिला इन्दौर
सदर निवासी–ग्राम ~~अर्जुन बड़ौदा~~, बिसाखेडी अजनोद
तहसील–[redacted], सांवेर, जिला–इन्दौर —प्रत्यार्थीगण

श्रीमान के अधिनिस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सांवेर के द्वारा अपील क्र. 23/अपील/14–15 में पारित आदेश में दिनांक 26/10/2016 के विधि विरूद्ध आदेश करने से आलोच्य आदेश के विरूद्ध निगरानी करना भाग हुआ है।

आवेदन पत्र भू–राजस्व संहिता की धारा 50 तथा 32 के अन्तर्गत प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 26/10/2016 की निगरानी हेतु प्रार्थना पत्र

माननीय महोदय,

18.01.17

अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि–

1– यह कि, अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी दोनों सगे भाई होकर अम्बाराम जी के पुत्र है। इनकी नानी श्रीमती फुन्दीबाई की कृषि भूमि सर्वे नं. 89 रकबा 0.255 हेक्ट. तथा सर्वे नं. 105/1 0.406 हेक्ट. कृषि भूमि संयुक्त परिवार के नाम होकर संयुक्त नाम पर दर्ज रही है।

2– यह कि, प्रत्यार्थीगण क्र. 1 से लगायत 5 तक नाथूलाल के पुत्र व पोत्र है। तथा प्रत्यार्थीगण क्र. 6 बद्रीलाल पिता हिरालाल स्वंय को गोदी पुत्र नानी फोन्दी बाई पिता हिरालाल बताकर शासकीय रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जब कि भगवान व बद्रीलाल पिता अम्बाराम ने नानी की कृषि भूमि सन् 1989 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4335–पीबीआर/16 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–1–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	